6 - अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
1	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **सहायक कोषागार लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास **भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए।** **अधिमानी अर्हता**- उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** (दो) **राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
2	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **लेखा परीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए **अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी आवश्यक है।** **अधिमानी अर्हता**- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** (दो) **राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या**
3	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	अमीन/ नीलामकर्ता	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में **अमीन/नीलामकर्ता** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी** आवश्यक है। **अधिमानी अर्हता**- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो **कृषि विपणन कार्य का अनुभव** रखता हो।
4	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अधिशासी अधिकारी	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित में विहित प्राविधानानुसार सेवा में **अधिशासी अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को **स्नातक उपाधि** प्राप्त होना आवश्यक है। **परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जायेगा।** **अधिमानी अर्हता**- उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 यथासंशोधित के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर केन्द्रीयित सेवाओं में अधिशासी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की दशा में उस अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, जिसने- **(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
5	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	लिपिक सह टंकक/ रोकड़िया सह लिपिक/ लेखा लिपिक	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में **लिपिक सह टंकक/रोकड़िया सह लिपिक/लेखा लिपिक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी** आवश्यक है। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो **रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति** रखता हो।
6	कार्यालय चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सहायक चकबन्दी अधिकारी/ सहायक आयतीकरण अधिकारी	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1995 एवं द्वितीय संशोधन-1997) के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **सहायक चकबन्दी अधिकारी/ सहायक आयतीकरण अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास **भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।** <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश राजस्व चकबन्दी सेवा नियमावली, 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-1995 एवं द्वितीय संशोधन-1997) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी- (एक) **जिसके पास भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि हो, या** (दो) **प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या** (तीन) **जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
7	उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर	सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी) (सामान्य/ विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में **सहायक प्रबन्धक (गैर तकनीकी)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास **भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अपेक्षित होगी।** <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
8	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ	केन्द्र प्रभारी	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 यथासंशोधित के भाग-4 नियम-18 के अनुसार सेवा में **केन्द्र प्रभारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास **भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है।**

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हता
9	परिवार कल्याण महा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ	जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी-137/2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार सेवा में **जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने **माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो।** **अधिमानी अर्हता-** चिकित्सा अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यकारी आदेश संख्या- 2859/5-10-2004-जी-137/2004, दिनांक- 10-09-2004 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।** **(तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त किया हो।**
10	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश	मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली, 1984 यथासंशोधित के विनियम-7 के अनुसार सेवा में **मण्डी पर्यवेक्षक श्रेणी-2** के पद पर सीधी भर्ती के लिए **सामान्य अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा इण्टरमीडिएट में कम से कम 45 प्रतिशत अंक** आवश्यक है।

नोट:- स्नातक समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक- 19-07-2023 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न (संलग्नक-1) है।

7- आयु –

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश	सहायक कोषागार लेखाकार	उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **सहायक कोषागार लेखाकार** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को **इक्कीस वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **चालीस वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
2	सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश	लेखा परीक्षक	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली, 2025 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सेवा में **लेखा परीक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय जुलाई के प्रथम दिवस को **21 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो और **40 वर्ष** से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियो की दशा में, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जांय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।